सं.स0–7/राजेन्द्रनगर अस्पताल–17–01/2018 75(7)ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक 28 / 12 /2018

विषय– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0012–राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना उपशीर्ष–विपत्र कोड–20–2210011100012 के अन्तर्गत वेतनादि के विभिन्न इकाईयो में वित्तीय वर्ष 2018–2019 में कुल–₹ 2,00,00,000/– (दो करोड़) रू0 मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/ उपशीर्ष/ विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–05(7)ब दिनांक–07.06.18 एवं 57(7)ब दिनांक–22.11.18 तथा स्वीकृत्यादेश संख्या–78(7) दिनांक–06.11.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि के विभिन्न इकाईयो में वित्तीय वर्ष 2018–2019 में कुल–₹ 2,00,00,000/– (दो करोड़) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110– अस्पताल तथा औषधालय–0012–राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना उपशीर्ष–विपत्र कोड– 20–2210011100012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय–व्ययक आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से **तथा** द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त 204D (वित्त विभाग के पत्रांक–ब–15/बी0एस0जी0 –210/2018 –868/वि0, दिनांक–10.12.2018) प्राप्त राशि से निकासी की जाएगी ।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें।

5. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. निदेशक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेंगें।

8. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 75 (7)6 पटना, दिनांक :28 / 12 /2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर निदेशक एवं सिविल सर्जन/उपाधीक्षक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख के सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं संबंधित सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथद सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी

व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110– अस्पताल तथा औषधालय–0012–राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना उपशीर्ष– विपत्र कोड–20–2210011100012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध एवं अतिरिक्त आवंटन की स्थिति।

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध द्वितीय अनुपूरक सहित	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0012–01–01)	49000000	36000000	13000000	49000000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0012–01–03)	5300000	4000000	1300000	5300000	0
3	मकान किराया भत्ता (0012–01–04)	10328000	7078000	3250000	10328000	0
4	परिवहन भत्ता (0012–01–05)	968000	768000	200000	968000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0012–01–06)	1518000	768000	750000	1518000	0
6	अन्य भत्ता (0012–01–07)	3712000	2212000	1500000	3712000	0
	योग 20–2210.01.110.0012.01वेतन	**70826000**	**50826000**	**20000000**	**70826000**	**0**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0012–06–01)	400000	357440	0	357440	42560
8	यात्रा व्यय (0012–11–01)	50000	50000	0	50000	0
9	कार्यालय व्यय (0012–13–01)	100000	100000	0	100000	0
10	दूरभाष (0012–13–03)	25000	25000	0	25000	0
11	विद्युत प्रभार (0012–13–04)	2000000	2000000	0	2000000	0
12	विधि प्रभार (0012–13–05)	50000	50000	0	50000	0
13	वर्दी / पोषाक (0012–13–06)	20000	20000	0	20000	0
14	किराया महसूल एवं कर (0012–14–01)	100000	100000	0	100000	0
15	प्रशिक्षण व्यय (0012–20–03)	239000	0	0	0	239000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉ (0012–21–01)	180000	180000	0	180000	0
17	दवा भंडार (0012–21–02)	1560000	1560000	0	1560000	0
18	आहार / पथ्य (0012–21–03)	754000	427000	0	427000	327000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0012–27–02)	600000	0	0	0	600000
20	संविदा सेवाएँ (0012–28–02)	4000000	2050000	0	2050000	1950000
21	मशीने एवं उपस्कर (0012–52–01)	600000	600000	0	600000	0
	कुल योगः–	**81504000**	**58345440**	**20000000**	**78345440**	**3158560**

कुल (दो करोड़) रूपये मात्र

75(7)6
28-12-18

सरकार के विशेष सचिव